मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in
ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र./बोर्ड/नियमन/कोर्टेवा प्रा.लि./680/2024/4278 **भोपाल, दिनांक 28/02/2024**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय............(समस्त)।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त)।

विषय - बीज पर मंडी फीस के उद्ग्रहण से छूट के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत बीज पर मंडी फीस के उद्ग्रहण से छूट के संबंध में, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग (वर्तमान में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग) की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-34-2000-चौदह-3 दिनांक 04/04/2001 तथा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/बीज-मंडी शुल्क-छूट/1651 दिनांक 10/08/2009 की छायाप्रति पुनः, सर्व-संबंधितों को अवगत कराए जाने तथा उक्त अधिसूचना एवं परिपत्र के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बोर्ड/नियमन/कोर्टेवा प्रा.लि./680/2024/4279 **भोपाल, दिनांक 28/02/2024**

प्रतिलिपि -
चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड कराएं।

अपर संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
बि.पू.भु./04 भोपाल-2001.

पंजीयन क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी.-108-भोपाल-2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल 2001—चैत्र 14, शक 1923

कृषि विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2001

क्र. डी-15-34-2000-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बीजों को, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, मण्डी फीस के उद्ग्रहण से छूट देती है, अर्थात् :—

1. बीज अधिनियम, 1966 की धारा 8 के अधीन अधिसूचित बीज प्रमाणीकरण अभिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रमाणित, सीलबंद एवं पैक किए हुए बीजों का विक्रय, निर्यात या आयात ऐसे व्यापारी द्वारा किये जाने पर, जिसके पास आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो.

2. पैरा 1 में यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा प्रमाणित बीजों का क्रय, मण्डी प्रांगण के बाहर केवल उन्हीं बीज उत्पादकों से करने पर, जिनके साथ उसने बीज उत्पादन का अग्रिम अनुबंध किया हो.

3. बीज प्रमाणीकरण अभिकरण (एजेंसी) द्वारा प्रमाणित, सीलबंद एवं पैक किए हुए ऐसे बीजों के परिवहन पर, जो मण्डी समिति की अनुज्ञा के बिना, मण्डी क्षेत्र के बाहर, बीज उत्पादकों से क्रय किये गये हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2001

क्र. डी-15-34-2000-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 4 अप्रैल 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4th April 2001

No. D-15-34-2000-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby exempts the seeds from levy of market fees subject to the following conditions from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", namely :—

1. On sale, export or import of seeds which are certified, sealed and packed under section 9 of the Seeds Act, 1966 by Seed Certification Agencies notified under section 8 of the said Act, by a dealer having a valid licence under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 and the seeds (Control) Order, 1983.

2. On purchase of certified seeds by the licensed dealer as specified in para 1, only from the seed growers outside market yard with whom he may have entered into an advance agreement for the seed production.

3. On transportation of seeds purchased from seed growers outside market area without the permission of Market Committee which have been certified, sealed and packed by the Seed Certification Agency.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. N. SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

Scanned with OKEN Scanner

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़ भोपाल

क्र / बी–6 / नियमन / बीज–मंडी शुल्क–छूट / 165 / भोपाल, दिनांक 10 / 08 / 2009

–:: परिपत्र ::–

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक–24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा बीजों को कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक–डी–15–34–2000–चौदह–3 भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2001 के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, मंडी फीस के उद्ग्रहण से छूट दी गई है–

(1) बीज अधिनियम, 1966 की धारा 8 के अधीन अधिसूचित बीज प्रमाणीकरण अभिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रमाणित सीलबंद एवं पैक किए हुए बीजों का विक्रय निर्यात या आयात ऐसे व्यापारी द्वारा किये जाने पर जिसके पास आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–3 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो ,

(2) पैरा–1– के यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा प्रमाणित बीजों का क्रय मंडी प्रांगण के बाहर केवल उन्हीं बीज उत्पादकों से करने पर जिनके साथ उसने बीज उत्पादन का अग्रिम अनुबंध किया हो।

(3) बीज प्रमाणीकरण अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा प्रमाणित सीलबंद एवं पैक किए गए ऐसे बीजों के परिवहन पर, जो मण्डी समिति की अनुज्ञा के बिना मंडी क्षेत्र के बाहर, बीज उत्पादकों से क्रय किये गये हों।

अतः राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना में विहित शर्तों से स्पष्ट है कि "बीजों" को मंडी फीस के भुगतान से छूट केवल उक्त शर्तों के अधीन ही दी जा सकती है अन्यथा नहीं।

उपरोक्त शर्त क्रमांक–1 के अनुसार केवल ऐसे व्यापारी द्वारा ही बीजों का विक्रय, निर्यात या आयात किया जा सकता है जिसके पास आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो। अतः बीजों के विक्रय–आयात एवं निर्यात करने वाले व्यक्ति के पास उपरोक्त प्रभावशील अनुज्ञप्ति, जिसकी वैद्यता अवधि अद्यतन हो, का होना आवश्यक है। मण्डी क्षेत्र में कार्यरत ऐसे अनुज्ञप्त व्यापारियों की अनुज्ञप्ति की तरदीक एवं परीक्षण मंडी सचिव द्वारा किया जाना चाहिये। ऐसे अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा केवल ऐसे बीजों का ही विक्रय–निर्यात या आयात किया जा सकता है जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 8 के अधीन अधिसूचित बीज प्रमाणीकरण अभिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रमाणित, सीलबंद, एवं पैक किए हुए हो।

Scanned with OKEN Scanner

अतः ऐसे विक्रय–निर्यात एवं आयात किये गये बीजों के संबंध में सुनिश्चित करना मंडी सचिव का दायित्व होगा कि ऐसे बीज प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा बीज अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रमाणित, एवं पैक किए हुए है या नहीं, बीज परिवहन के समय वाहन चालक के साथ बीज प्रमाणिकरण अभिकरण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बीजों के पेकिंग चपड़ा से सीलबंद एवं टैग लगे हुए हो जिस पर बीज प्रमाणीकरण ऐजेन्सी की मुद्रा अंकित हो।

उपरोक्त शर्त–2 के अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त पैरा–1 के अंतर्गत बीजों के विक्रय, निर्यात तथा आयात करने के लिये अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा बीजों का क्रय केवल ऐसे बीज उत्पादकों से ही मण्डी प्रांगण के बाहर किया जा सकता है जिनके साथ उसने बीज उत्पादन का अग्रिम अनुबंध किया हो। अतः मंडी सचिव का यह दायित्व है कि मंडी क्षेत्र में बीजों का विक्रय–निर्यात आयात करने वाले ऐसे अनुज्ञप्त व्यापारी से प्रत्येक वित्तिय वर्ष के लिये बीज उत्पादकों से क्रय किये जाने वाले बीज की मात्रा, उत्पादकों की सूची एवं उनका पूरा पता, खसरा, नकल तथा बीज उत्पादक एवं व्यापारी के बीच निष्पादित ऐसे सभी अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति बीज उत्पादन के पूर्व प्राप्त कर लिया जाये मंडी सचिव यह भी ध्यान रखे कि "बीजों का क्रय" शर्त क्रमांक (2) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पादकों से करने पर ही मंडी फीस की छूट दी जावेगी अन्यथा नही। यदि बीजों का क्रय उक्त शर्त के विपरीत किया गया है तो धारा 19 के उपबंधों के अधीन मंडी फीस की वसूली की जावेगी।

उक्त शर्त क्रमांक–3 के अनुसार केवल ऐसे बीजों के परिवहन को मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी जो, बीज प्रमाणिकरण अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा प्रमाणित सीलबंद एव पैक किए हो और जो मण्डी क्षेत्र के बाहर अनुबंध के आधार पर बीज उत्पादकों से क्रय किये गये हों।

अतः राज्य सरकार द्वारा बीजों पर मंडी फीस के भुगतान से छूट उक्त शर्तों के अधीन ही प्रदान की गई है। अतः मण्डी सचिव द्वारा अधिसूचना में विहित बीज अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, तथा बीज नियंत्रण आदेश के उक्त विहित प्रावधानों एवं निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करें और उक्त अधिसूचना में विहित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने पर ही विधिमान्य अनुज्ञप्त व्यापारी को ही बीजों के क्रय–विक्रय, निर्यात, आयात पर मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्रदत्त करें उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में उल्लंघनकर्ता व्यापारी के विरूद्ध मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्रवाही करें एवं देय मण्डी फीस की वसूली सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक मण्डी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह मण्डी क्षेत्र में कार्यरत बीज व्यापारियों की सूची एवं उनके द्वारा क्रय विक्रय–निर्यात एवं आयात तथा परिवहन किये गये बीजों का फर्मवार–माहवार–वर्षवार अभिलेख संधारित करें कि ऐसे व्यापारियों द्वारा कितनी मात्रा के बीजों पर कितने मण्डी फीस की छूट प्राप्त की है।

(प्रबंध संचालक महो. के निर्देशानुसार)

अपर संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with OKEN Scanner